उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 165/2016/2077/71-1-2016-जी-131/2015
लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता, फार्माकोलॉजी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-183/19/सेवा-8/2012-13, दिनॉक 04-12-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 10 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।
(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।
(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नही हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:-165/2016/2077(1)/71-1-2016- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, कन्नौज, मेरठ, कानपुर ।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, कन्नौज, मेरठ, कानपुर ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, कन्नौज, मेरठ, कानपुर ।
7- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संबंधित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायें।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-165/2016/2077/71-1-2016-जी-131/2016,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 03 अगस्त, 2016 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पत्र व्यवहार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 राजकुमार गोयल (अनु0-51220043065)	296, अजन्ता कालोनी, गढ़ रोड, मेरठ उ0प्र0 250004	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ ।
2	डा0 दीपक कुमार वर्मा (अनु0-51210087918)	ई0-5 समता नगर, ऑडी मोटर के पास, बिकानेर, राजस्थान 334004	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
3	डा0 पियूष मिश्रा (अनु0-51220186777)	सी0-30, से0-एस, अलीगंज, स्किम, सीतापुर, रोड, लखनऊ, उ0प्र0 226020	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
4	डा0 रविकान्त (अनु0-51230184398)	गली नं0-4, नया नगला मथुरा, उ0प्र0 281001	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ।
5	डा0 विपिन कुमार (अनु0-51220133997)	16-बी0 केशव कुंज, प्रताप नगर, आगरा, उ0प्र0	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज ।
6	डा0 अनुराग जैन (अनु0-51220112745)	44, वैदन टोला, कुरावली, जिला, मैनपुरी, उ0प्र0 225265	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
7	डा0 अमित कुमार (अनु0-51250101232)	द्वारा तीर्थ सिंह पटेल प्रकृति 610/160, केशन नगर, सीतापुर, रोड, लखनऊ उ0प्र0 229001	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
8	डा0 संजय कुमार सिंह (अनु0-51220330183)	द्वारा हरिशंकर सिंह मास्टर गॉव गहमर, खलुराई, पो0 महमर, जिला- गाजीपुर उ0प्र0 273015	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर ।
9	डा0 धनन्जय कुमार पाण्डेय (अनु0-51220041678)	म0 नं0-143/301, अंधियारी बाग, उत्तरी लौंगरा देवी मंदिर, गोरखनाथ, गोरखपुर,	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उ0प्र0 273015	
10	डा0 रीतेश कुमार राय (अनु0-51220296658)	सी0-89, विद्वुत नगर, गॉधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान, 302021	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर ।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।